अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–230 / 2025.

परिवाद पत्र सं0–2270 / 2024

1. पूजा कुमारी ..... आवेदिका।

बनाम

(1) बिहार सरकार .....

(2) सुधीर सिंह .....

(3) श्री राम सिंह.....

(4) धर्मशीला देवी .....

(5) मिथिलेस कुमार.....

(6) संध्या कुमारी उर्फ रेखा ..... विपक्षीगण।

Web Copy not Official

आदेश

13.05.2026

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद श्रीमती हरिप्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक–06 / 07–11–2025 के विरूद्ध दाखिल की गयी है। पारित आदेश दिनांक–06 / 07–11–2025 मे तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, वैशाली द्वारा वाद मे उभय पक्षो के सुनवाई के पश्चात् केवल विपक्षी सं0–2 सुधीर सिंह के विरूद्ध धारा 323 भा.द.वि. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका द्वारा आज के पुर्व इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे कोई आवेदन उपरोक्त संदर्भ मे दाखिल नही किया गया है। आवेदिका, विपक्षी सं0–2 का पत्नी है जिसका विवाह हिंदु रिति रिवाज के अनुसार हुयी थी तथा उपहार स्वरूप समान भी दिया गया था। विवाह पश्चात आवेदिका विदाई होकर अपने ससुराल गयी जहां पर दोनो पति–पत्नी खुशीपुर्वक साथ मे रह रहे थे लेकिन कुछ समय बाद आवेदिका को प्रताड़ित किया जाने लगा और दहेज के रूप मे विपक्षीगण द्वारा 05 लाख रूपये की मांग किया जाने लगा जिसकी पूर्ति नही होने पर आवेदिका का स्त्रीधन छीनकर उसे घर से निकाल दिया गया उसके बाद आवेदिका अपने मायके माता–पिता के पास रहने लगी। विपक्षी सं0–2, 3, 4, 5 एवं 6 के व्यवहार से तंग आकर आवेदिका द्वारा तत्कालीन मुख्य

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–230 / 2025.

न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली के न्यायालय मे परिवाद पत्र 2270 / 2024 दाखिल किया गया था, जिसे तत्कालीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली द्वारा श्रीमति हरिप्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, वैशाली के यहां स्थानांतरित किया गया जहां पर आवेदिका एवं अन्य द्वारा परिवाद पत्र का पुर्ण समर्थन किया गया इसके बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–06 / 07–11 / 2025 मे परिवाद पत्र को विपक्षी सं0–3 से 5 के विरूद्ध खारिज किया गया तथा केवल विपक्षी सं0–2 सुधीर सिंह के विरूद्ध धारा 323 भा.द.वि. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी का आदेश पुर्ण अवैध और साक्ष्य के विपरीत है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, वैशाली के आदेश दिनांक– 06 / 07–11 / 2025 को खारिज किया जाए।

Web Copy not Official

विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित है और उक्त आवेदन का विरोध करते है तथा विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, वैशाली का आदेश दिनांक 06 / 07–11 / 2025 वैधानिक एवं संपुष्ट करने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये आदेश पारित किया गया है। आगे अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाए।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता का मुख्य विरोध इस तथ्य पर है कि अवर न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है क्योकि वह किसी भी विवाह को शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार नही रखती है क्योकि यह क्षेत्राधिकार प्रधान न्यायाधीश का है। पुनरीक्षणकर्ता अपने आवेदन के कंडिका 2 मे वर्तमान मे भी विपक्षी सं0–2 सुधीर सिंह की वैध विवाहिता पत्नी होने का दावा कर रही है। पुनरीक्षणकर्ता का निवेदन है कि चुकि वह विपक्षी सं0–2 सुधीर सिंह की विवाहिता पत्नी है इसलिए उनके विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए, मे संज्ञान लेने से मना करने का कोई विधिक आधार नही है। यह बात सत्य है कि अवर न्यायालय को किसी विवाह को शुन्य या शुन्यकरणीय घोषित करने का

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–230 / 2025.

अधिकार नही है या किसी विवाह की वैधता निर्धारित करने का अधिकार नही है परंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए का शीर्षक ही यह है– किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रुरता करना। यहां पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए मे आरोपित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए प्रथमतः यह निश्चित करना होगा कि सूचिका एवं आरोपित के मध्य वैध पति–पत्नी का रिश्ता पुर्व मे विद्यमान था। यहां पर पुनरीक्षणकर्ता ने विपक्षी के इस तथ्य से कही इंकार नही किया है कि वह विपक्षी सं0–2 सुधीर सिंह से विवाह के समय पूर्व से ही एक ऐसे विवाह बंधन मे थी जिसमे कि उस समय तक विवाह विच्छेद नही हुआ था। हिंदु विवाह अधिनियम की धारा 5 मे भी विवाह के आवश्यक शर्तों मे यह महत्वपुर्ण शर्त है कि विवाह के दोनो पक्षकार पुर्व से किसी वैवाहिक संबंध के अस्तित्व मे नहीं है। यहां पर यह निर्धारित करने का आशय यह नही है कि यह न्यायालय विवाह की वैधता या अवैधता को निर्धारित कर रहा है बल्कि वह इस तथ्य को निर्धारित कर रहा है कि क्या सूचिका वास्तव मे विपक्षी सं0–2 की वैध पत्नी थी क्योकि बिना पति–पत्नी के रिश्ता को निर्धारित किए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अधीन आरोप का निर्माण हो ही नही सकता है और इसी तथ्य को न्यायिक दण्डाधिकरी प्रथम श्रेणी, वैशाली हाजीपुर श्रीमति हरिप्रिया ने अपने आदेश दिनांक 06 / 07–11–2025 को आधार बनाया है। यहां पर भले ही न्यायिक दण्डाधिकरी प्रथम श्रेणी, वैशाली हाजीपुर श्रीमति हरिप्रिया ने यह तथ्य अंकित किया है कि दोनो के मध्य विवाह शुन्य था फिर भी इस निष्कर्ष का अभिप्राय या विधिक महत्व यह नही है कि वह ऐसा आदेश करते समय विवाह को शुन्य घोषित की और यदि ऐसा वह करती भी तो यह उनके क्षेत्राधिकार मे नही था इसलिए वह केवल एक निष्प्राण शब्द ही है। यहां पर संज्ञान आदेश मे सिर्फ यह विधिक महत्व का प्रश्न है कि संज्ञान भा.द.वि. की उचित धाराओं में लिया गया है अथवा नहीं तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संपूर्ण तथ्यो एवं परिस्थितियो को दुष्टिगत रखते हुए न्यायिक दण्डाधिकरी प्रथम श्रेणी, वैशाली हाजीपुर श्रीमति हरिप्रिया ने भा. द.वि. की धारा 498ए मे संज्ञान न लेकर कोई विधिक त्रुटि कारित नही की हैं और

Web Copy not Official

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–230 / 2025.

उन्होनें अपने संज्ञान आदेश के आधारों को भी विस्तृत रूप से स्पष्ट भी किया हैं। अतः प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

लेखापित

Web Copy not Official

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–230 / 2025.

Date of Judgment/Order	13-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	28-04-2026
Uploading Date	15-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official